

तारीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जायी तारीख
नम्बर/दि-

-: आदेश :-

गाडी के ड्रायव्हर एवम् तद्वि
दा रिपोर्ट के आचार पर वाद-वादी एबीका
किता जाण है एवं इन्वर्ती सं. 4 तद्विषय
इच्छा को कोटिबिल किता जाण है कि गाडी
का नाम राधाव रिपोर्ट (जमावती) में दर्ज
खातेवादी इन्वर्ती के चक राधाव
राधाव तद्विषय इच्छा का खण्ड नं.-14
वर्तमान खण्ड नं.-21114 की 7570 ईस्ट
इन्वर्ती में इच्छा के स्थान पर
इच्छालाल दर्ज किता जाण इनिशियल कोटि।
तदनुसार डिजी पत्र जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/12 को मज्मे
काम केस कोटि में सुनाया गया।


प्रियंका तलानिया
अधीकारी
अनुपम



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

कैम्प कोर्ट का स्थान : शाम्प पीन्चापत - प्रखण्ड - यूप

अनवान

कृष्ण लाल बनाम सरकार

दावा बाबत अन्तर्गत - खात - 88 राज. कार. अन्वितिय

मुकदमा नम्बर 403/2021

निर्णय दिनांक 5/1/22 (कैम्प कोर्ट - 4LM)

वादी की ओर से रूप की व प्रतिवादी की ओर से

तहसीलदार, अनूपगढ़ की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 5/1/22 को प्रियंका तलानिया उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वोके - चक - रामदास राठान तहसील अनूपगढ़ के खसरा नं० - 21/1 की 7.590 हेक्टर की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्राचीन का नाम कृष्णराम के स्थान पर कृष्ण लाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिकारी तहसील, अनूपगढ़ को दिये जाते हैं। उक्त नुसार आदेश की पालना किये जाने अनिवार्य है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/1/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

प्रियंका तलानिया
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4. रुपये पर प्लीडर की फीस			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका का तामील			
जोड़		जोड़	